# आन्ध्रा बैंक
# Andhra Bank

## असाधारण सामान्य बैठक

गरुवार 19 दिसंबर, 2013 को 11.00 बजे
श्री सत्य साई निगमागमम, 8-3-987/2,
श्री नगर कालोनी, हैदराबाद – 500 073

## EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

on

**Thursday, 19.12.2013 at 11.00 A.M.**
**at Sri Sathya Sai Nigamagamam, 8-3-987/2,**
**Sri Nagar Colony, Hyderabad - 500 073**

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
**Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.**

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

## विषय सूची
# CONTENTS


| | पृष्ठ संख्या Page No. |
|---|---|
| **सूचना** | 2 |
| NOTICE | 2 |
| **सूचना से संबंधित टिप्पणियाँ** | 14 |
| NOTES TO NOTICE | 14 |
| **प्राक्सी फार्म** | 15 |
| PROXY FORM | 17 |
| **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास** | 19 |
| ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS | 20 |


**प्रधान कार्यालय** : **डॉ.पट्टाभि भवन,** 5-9-11, **सैफाबाद, हैदराबाद –** 500 :004.
**शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष : डॉ.पट्टाभि भवन,** 5-9-11, **सैफाबाद, हैदराबाद –** 500 004.
**रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट : मेसर्स एमसीएस लिमिटेड, काशीराम जमनादास बिल्डिंग, ऑफिस संख्या** 21/22, **भूतल** 5, **पी डी मेलो रोड, घड़ियाल गोदी, मुम्बई –** 400 009.
**Head Office :** Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.
**Share Holders & Investor Grievances Cell** : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.
**Registrar & Share Transfer Agents :** M/s. MCS Limited, Kashiram Jamnadas Bldg, Office No. 21/22, Ground Floor 5, P.D'Mello Road, Ghadiyal Godi, Mumbai - 400 009.



# आन्ध्रा बैंक

शेयरधारक एवं निवेशक कक्ष प्रधान कार्यालय :
डॉ. पट्टाभि भवनए, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500004, आं. प्र.

## नोटीस

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक गुरुवार 19 दिसंबर, 2013 को 11.00 बजे श्री सत्य साई निगमागमम, 8-3-987/2, श्री नगर कालोनी, हैदराबाद - 500 073 में निम्नलिखित कार्य के लिए आयोजित की जाएगी.

**मद सं. 1. भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन के रूप में ईक्विटी शेयर जारी कर पूंजी जुटाना :**

निम्नलिखित विशेष संकल्प पर विचार करने और यदि उचित पाया गया, आशोधन के साथ या बिना आशोधन पारित करना:

**"संकल्प किया गया कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 और आन्ध्रा बैंक(शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के और समय-समय पर यथा संशाधित प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई), भारत सरकार (जी ओ आई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), और / या किसी अन्य प्राधिकारी से यथापेक्षित अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा यथा निर्धारित ऐसे निबंधन, शर्त और आशोधन, जिससे निदेशक मंडल सहमत हों, की शर्त पर, और सेबी(पूंजी और प्रकटन अपेक्षा) विनियमन 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन,2009) और भारतीय रिज़र्व बैंक और सभी अन्य संबंधित प्रधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम की शर्त पर और शेयर बाजारों में, जिनमें बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों, के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्त पर, बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद 'बोर्ड' कहा गया है, जिससे यह माना गया कि इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठन की जानेवाली पूंजी निर्गम समिति शामिल है) को ₹ 200 करोड़ सकल मूल्य तक पूँजी जुटाने हेतु रु. 10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य के रु. 66.59 पैसे प्रति शेयर नकद पर 3,00,34,539 ईक्विटी शेयर (रु. 56.59 पैसे प्रति शेयर के प्रीमियम सहित), भारत सरकार

# Andhra Bank

Shareholder's & Investor Greivances cell, Head Office:
Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004, A.P.

## NOTICE

**NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Andhra Bank will be held on December 19th, 2013, at 11 a.m. at Sri Sathya Sai Nigamagamam, 8-3-987/2, Sri Nagar Colony, Hyderabad-500 073, to transact the following business:**

**Item No.1: Raising of capital by issuance of equity shares by way of Preferential allotment to Government of India**:

To consider and if thought fit pass with or without modification the following Special Resolution:

**"RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include Capital Issues Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to raise capital by creating, offering, issuing and allotting, on preferential basis to Government of India, 3,00,34,539 equity shares of face value of Rs.10/- each for cash at Rs.66.59 p. per share (including premium of Rs.56.59p. per share)

को ऐसे निर्गम मूल्य पर, जिसे सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुरूप बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा, सृजन, आफर, निर्गम और आबंटन करने हेतु शेयरधारकों की सहमति एतदद्वारा प्रदान जाती है।"

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** निर्गम मूल्य तय करने हेतु संगत तारीख 19.11.2013 है।"

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** बोर्ड को प्रस्ताव में भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ शेयर बाजार, जिनमें बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उचित प्राधिकारी द्वारा इनके निर्गम, आबंटन और सूचीकरण के समय अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी प्रदान करते समय यथापेक्षित या लागू किए गए और बोर्ड द्वारा यथा सहमत आशोधन स्वीकारने का प्राधिकार और शक्ति उपलब्ध होगा।"

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** उक्त निर्गम किए जाने वाले ईक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे और घोषित लाभांश, यदि कोई हो, हेतु ऐसे लाभांश की घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र होंगे।"

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के प्रयोजन हेतु, बोर्ड को ऐसे कार्य, कृत्य, मामले और विषय, करने का प्राधिकार दिया जाए और एतदद्वारा प्रदान किया जाए, जो अपने पूर्ण विवेक के आधार पर आवश्यक, उचित और वांछनीय प्रतीत हो और ईक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी प्रश्न, समस्या या शंका को निपटाने और आगे ऐसे कार्य, कृत्य, मामले और विषयों को अंतिम रूप देने और ऐसे सभी आवश्यक, उचित और समीचीन प्रलेख और लेखनी निष्पादित करने, जिन्हें अपने पूर्ण विवेक के आधार पर उपयुक्त, उचित या वांछनीय माने जिसके आशय और उद्देश्य के लिए शेयरधारकों से और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता न हो और यह माना जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार से इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट अनुमोदन प्रदान किया है।"

**मद सं. 2 - सापेक्ष संस्थागत प्लेसमेंट / फोलो ऑन पब्लिक ऑफर के माध्यम से पूंजी जुटाना**

**"संकल्प किया गया कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/80 (योजना) और आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 और समय-समय पर

as determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009, and aggregating upto Rs.200 Crore.

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date for determination of the Issue Price is 19.11.2013

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

**Item No.2: Raising of capital through Qualified Institutional Placement / Follow-on Public Offer:**

**"RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980 (Scheme) and Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government

यथा संशोधित प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई), भारत सरकार (जी ओ आई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), और / या किसी अन्य प्राधिकारी से यथापेक्षित अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा यथा निर्धारित ऐसे निबंधन, शर्त और आशोधन, जिससे निदेशक मंडल सहमत हों, की शर्त पर, और सेबी(पूंजी और प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम,2009) और भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और लागू अन्य सभी कानूनों और सभी अन्य संबंधित प्रधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम की शर्त पर और शेयर बाजारों में, जिनमें बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों, के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्त पर, बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद 'बोर्ड' कहा गया है, जिसमें किसी समिति को शामिल माना गया कि इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठन की जानेवाली पूंजी निर्गम समिति शामिल है) इश्यु के ऐसे भाग को आरक्षण के प्रावधान सहित स्थायी आबंटन और / या प्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे श्रेणी के व्यक्तियों को, जो तत्कालीन लागू कानून द्वारा अनुमत है। भारत या विदेश में ऑफर प्रलेख / प्रोस्पेक्टस या अन्य ऐसे प्रलेख द्वारा लागू कानूनों के अनुसार उस समग्र राशि तक निर्धारित प्रीमियम सहित रु 10/- के प्रलेख जारी मूल्य के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की ऐसी संख्या को ऑफर, जारी और आबंटन इस प्रकार करें कि ऐसी समग्र राशि तक लागू कानूनों के अनुसार निर्धारित प्रीमियम सहित रु.10/- के निर्गम मूल्य के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों उतनी संख्या हो ताकि बैंक की ईक्विटी प्रदत्त पूंजी में केन्द्र सरकार का स्टेक उस प्रतिशत से कम न हो जाए जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, चाहे बट्टागत या बाजार मूल्य के प्रीमियम, एक या अनेक ट्रेंचों में सापेक्ष संस्थागत क्रेता अथवा विदेशी संस्थागत निवेशकों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, इंडियन म्युच्युअल फंडों, वेंचर कैपिटल फंडों, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियां, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, डेवलपमेंट वित्तीय संस्थाओं या अन्य स्वत्वों, प्राधिकारियों या अन्य श्रेणी के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों / दिशा निदेशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों के निवेश के लिए प्राधिकृत हैं या उपर्युक्त के किसी संमिश्रण जो बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाता है ।

of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 SEBI (ICDR Regulations)/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/ or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/ prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of Rs.10 each at issue price including premium determined in accordance with applicable laws aggregating upto such amount and in such a manner that the Central Government's stake in the equity paid-up capital of the bank will not go below such percentage as may be decided by Government of India, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/ guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** सार्वजनिक निर्गम या ऐसा अन्य निर्गम जो अतिरिक्त आबंटन विकल्प सहित या रहित और वह ऑफर, निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, सेबी (पूंजी के निर्गम और प्रकटन अपेक्षाओं) विनियम 2009 (सीडीआर विनियम) और भारिबैंक, सेबी या लागू अनुसार अन्य किसी प्राधिकारी) द्वारा जारी अन्य सभी दिशा निर्देश और ऐसे समय या समयों तथा ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर दिया जाए जैसाकि बोर्ड अपने विवेकानुसार उपयुक्त समझता है।

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** बोर्ड को ऐसी रीति से ऐसे मूल्य या मूल्यों का निर्गम करने का प्राधिकार होगा। आवश्यक होने पर लीड मैनेजरों और / या हामीदारों और / या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्य शर्तों पर जैसे कि बोर्ड अपने विवेकानुसार सेबी - आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, अन्य विनियमों और अन्य एवं सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों को ऐसी प्रतिभूतियों को जारी करने का निर्णय ले सकता है चाहे वैसा निवेशक (गण) बैंक के विद्यमान सदस्य हो या नहीं,जो सेबी-आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य नहीं होगा।

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** संबद्ध स्टॉक एक्सचेजों के साथ लिसिटंग एग्रीमेंटों के प्रावधानों के अनुसार बैंकिग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम के प्रावधान, सेबी-आईसीडीआर विनियमों के प्रावधान, विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधान और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरण या भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का निर्गम) विनियम, 2000, जो अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, स्टॉक-एक्सचेंज, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा निवेश संवर्धन बोर्ड और अन्य सभी प्राधिकारियों की मंजूरियाँ, जो अपेक्षित हों। (अब से उपर्युक्त को उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो उनमें से किसी के द्वारा निधार्रित किया जाता है, जब वे ऐसा अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (अब से अपेक्षित अनुमोदन के रूप में संदर्भित किया जाएगा) से बोर्ड अपने विवेकानुसार समय-समय पर एक या अधिक ट्रैंचों में ईक्विटी शेयरों या वारंटों से भिन्न किसी प्रतिभूति को सापेक्ष संस्थागत प्लेसमेंट के अनुसरण में क्यू आई बी (आईसीडीआर विनियम के अध्याय-8 में परिभाषित अनुसार) इश्यु ऑफर और आबंटन कर सकता है जो बाद में ईक्विटी शेयरों के रूप में परिवर्तनीय, विनिमय योग्य इस प्रकार हो कि बैंक ईक्विटी प्रदत्त पूंजी में केन्द्र सरकार का स्टेक उस प्रतिशत से नीचे नहीं जाएगा जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

**"RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of public issue or such other issue which may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and/ or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines to issue such securities to investors, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations".

**"RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/ or sanctions of Securities and Exchange Board of India(SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may,

जैसाकि सेबी-आईसीडीआर के अध्याय-8 अंतर्गत प्रावधान है, प्लेसमेंट प्रलेख और / या ऐसे अन्य प्रलेख / दस्तावेज़ / परिपत्र / मेमोरेंडा इस प्रकार के मूल्य पर, शर्तों पर जैसाकि आईसीडीआर विनियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित या उस समय विद्यमान कानून के अन्य प्रावधानों के अनुसार, बशर्तेकि प्रीमियम सहित ऐसे जारी ईक्विटी शेयरों का मूल्य सेबी-आईसीडीआर विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार आकलित मूल्य से कम नहीं होगा।

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** सापेक्ष संस्थागत प्लेसमेंट के मामले में सेबी-आईसीडीआर विनियम के अध्याय-8 के अनुसरण में प्रतिभूतियों का आबंटन सेबी-आईसीडीआर विनियम के अध्याय-8 में वर्णित क्यूआईबी को किया जाएगा, जो पूर्ण प्रदत्त होगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तारीख से 12 महीनों के अंदर पूरा किया जाएगा ।

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** क्यूआईपी इश्यु के मामले में प्रतिभूतियों के फ्लोर मूल्य के निर्धारण हेतु संगत तारीख सेबी-आईसीडीआर विनियम के अनुसार होगी ।

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** एनआरआई, एफआईआई और / या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए ईक्विटी शेयरों के इश्यु और आबंटन, जो लागू हो, विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा परंतु अधिनियम अंतर्गत इंगित समग्र सीमाओं के अंदर ही ।

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** जारी किये जाने वाले नए ईक्विटी शेयर ऐसी घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसरण में लाभांश सहित, यदि हो, बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के साथ सभी प्रकार से समान दर्जे का होगा ।

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** किसी इश्यु या ईक्विटी शेयरों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतदद्वारा निवेशकों की श्रेणी सहित, जिन्हें प्रतिभूति आबंटित किया जाना है, प्रत्येक ट्रेंच में कितनी संख्या में शेयर / प्रतिभूति आबंटित किया जाना है, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि के निर्धारण के लिए प्राधिकृत करता है , बोर्ड जिसे अपने विवेकानुसार उपयुक्त समझता है और वैसे सभी कार्य करने, विलेखों, प्रलेखों और व्यवस्था

at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government's stake in the equity paid-up capital of the bank will not go below such percentage as may be decided by Government of India, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at the time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of SEBI ICDR Regulations".

**"RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutional Placement (QIP), pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VIII of SEBI ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution".

**"RESOLVED FURTHER THAT** in case of QIP issue the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations".

**"RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

**"RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public

का निष्पादन अपने पूर्ण विवेकानुसार आवश्यक समझकर उचित या वांछनीय होने पर निपटान और किसी समस्या, कठिनाई और शंका के निपटान हेतु अनुदेश या निदेश देने, जो पब्लिक ऑफर के इश्यु, आबंटन और इश्यु की आगम राशि की उपयोगिता के संबंध में उठता है, ऐसे आशोधनों, परिवर्तनों, भिन्नताओं, बदलावों, विलोपनों, संवर्धनों, जो शर्तों से संबधित है, जो भी हो अपने पूर्ण विवेकानुसार बैंक के उत्तम हित में सदस्यों के और अनुमोदन के बिना तथा बैंक और बोर्ड को इस संकल्प द्वारा प्रदत्त सभी या किसी अधिकारों का उपयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** बोर्ड एतद्द्वारा किसी भी लीड मैनेजर (रों), बैंकर (रों), हामीदार (रों), डिपोजिटरी (यों) और ऐसी सभी एजेंसी, जो ईक्विटी के ऐसे ऑफरिंग अधिमान्य शेयर / प्रतिभूति में शामिल या संबद्ध है, के साथ ऐसी व्यवस्था के निष्पादन के लिए प्राधिकृत है और ऐसी सभी संस्थाओं और एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क आदि पारिश्रमिक देगा और एसी सभी व्यवस्था, करार, मेमोरेंडा, प्रलेख आदि का निष्पादन ऐसी एजेंसियों के साथ करेगा ।

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** उपर्युक्त प्रयोजन हेतु बोर्ड लीड मैनेजरों, हामीदारों, सलाहकारों और / या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों को एतद्द्वारा इश्यु के प्ररूप और शर्तों के निर्धारण के लिए प्राधिकृत किया जाता है जिसमें शेयरों के आबंटन हेतु निवेशकों की श्रेणी, प्रत्येक ट्रेंच में आबंटित की जानेवाली शेयरों की संख्या, इश्यु मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि हो), अंकित मूल्य, इश्यु पर प्रीमियम राशि, रिकार्ड तारीख या बुक क्लोज़र का निर्धारण और संबद्ध या प्रासंगिक मामले, भारत में और / या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग भी शामिल है जिसे बोर्ड अपने विवेकानुसार उपयुक्त समझता है।

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** इन शेयरों / प्रतिभूतियों के जो भाग सब्सक्राइब नहीं है, बोर्ड उसे अपने विवेकानुसार डिस्पोज-ऑफ कर सकता है, जैसाकि बोर्ड उचित समझता है और कानून द्वारा अनुमेय है ।

offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board" .

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity/ preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/ or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

**"RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares/ securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के प्रयोजन हेतु, बोर्ड को ऐसे कार्य, कृत्य, मामले और विषय, करने का प्राधिकार दिया जाए और एतदद्वारा प्रदान किया जाए, जो अपने पूर्ण विवेक के आधार पर आवश्यक, उचित और वांछनीय प्रतीत हो और ईक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी प्रश्न, समस्या या शंका को निपटाने और आगे ऐसे कार्य, कृत्य, मामले और विषयों को अंतिम रूप देने और ऐसे सभी आवश्यक, उचित और समीचीन प्रलेख और लेखनी निष्पादित करने, जिन्हें अपने पूर्ण विवेक के आधार पर उपयुक्त, उचित या वांछनीय माने जिसके आशय और उद्देश्य के लिए शेयरधारकों से और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता न हो और यह माना जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार से इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट अनुमोदन प्रदान किया है।"

**"आगे यह भी संकल्प किया गया कि** उपर्युक्त संकल्प प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इससे प्रदत्त सभी या कोई अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकार एतदद्वारा प्रदान किया जाता है।"

**निदेशक मंडल के आदेश से**

**टी.आर.रामभद्रन**
**उप महाप्रबंधक एवं**
**कंपनी सचिव**

**स्थान : हैदराबाद**
**तारीख : 13.11.2013**

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director and/or to the Executive Director/(s) in the absence of the Chairman and Managing Director to give effect to the aforesaid Resolutions."

**By order of the Board of Directors**

**T R Ramabhadran**
**Dy.General Manager &**
**Company Secretary**

**Place : Hyderabad**
**Date : 13.11.2013**

**अध्याय XIII(सेबी- आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार अपेक्षित वर्णनात्मक विवरण और प्रकटन**

**मद सं. 1. भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन के रूप में ईक्विटी शेयर जारी कर पूंजी जुटाना :**

**ए) अधिमान्य इश्यु का उद्देश्य :**

बढ़ते व्यवसाय स्तर से उत्पन्न भावी पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने, जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि के कारण बैंक भारत सरकार से ईक्विटी इंश्युरेंस के रूप में टीयर-1 पूंजी को सोर-अप करने का प्रस्ताव रखता है ।

बी) रु. 200 करोड़ (प्रीमियम सहित) के ईक्विटी शेयर तक भारत सरकार - बैंक के प्रोमोटर को अधिमान्य आधार पर आबंटित किया जाएगा ।

ग) निर्गम के पूर्व और निर्गम के पश्चात् शेयर धारण का स्वरूप

| क्र.संख्या | श्रेणी | निर्गम के पहले (15.11.2013) | | निर्गम के बाद | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | धारित शेयरों की संख्या | शेयर धारण की प्रतिशतता | धारित शेयरों की संख्या | शेयर धारण की प्रतिशतता |
| **क.** | **प्रमोटर्स के पास** | | | | |
| | | | | | |
| **1.** | प्रमोटर्स | | | | |
| | भारत सरकार | **324580364** | **58.0042** | 354614903 | 60.1435 |
| | विदेशी प्रमोटर्स | -- | -- | -- | -- |
| **2.** | **समूह के रूप में कार्यरत व्यक्ति** | -- | -- | -- | -- |
| | **उप जोड़ (1 और 2)** | **324580364** | **58.0042** | 354614903 | 60.1435 |
| **ख.** | **गैर-प्रमोटर के पास** | | | | |
| **3.** | **संस्थागत निवेशक** | | | | |
| क) | म्युचुअल फंड और यूटीआई | 659724 | 0.1179 | } | |
| ख) | बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियॉं (केन्द्रीय/राज्य संस्थान/गैर सरकारी संस्थाएं) | 64585706 | 11.5418 | } | |
| ग) | विदेशी संस्थागत निवेशक | 63535508 | 11.3541 | } | |
| | **उप जोड़** | **128780938** | **23.0138** | } | |
| **4.** | **अन्य** | | | | |
| क) | निजी कार्पोरेट निकाय | 19810195 | 3.5402 | } | |
| ख) | भारतीय जनता | 83126292 | 14.8552 | } | |
| ग) | अनिवासी भारतीय/ओसीबी | 1967593 | 0.3516 | } | |
| घ) | अन्य कोई | 1314982 | 0.2350 | } | |
| | **उप जोड़** | **106219062** | **18.9820** | } | |
| | **उप जोड़ (3 और 4)** | **235000000** | **41.9958** | **235000000** | **39.8565** |
| | **सकल जोड़** | **559580364** | **100.00** | **589614903** | **100.00** |

**Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter XIII, SEBI (ICDR) Regulations, 2009.**

**Item No.1 : Raising of capital by issuance of equity shares by way of Preferential allotment to Government of India:**

a) **Object of the Preferential Issue:**

**To meet the future capital requirements arising out of the growing business levels, growth in Risk Weighted Assets, the Bank proposes to shore up Tier I Capital, by way of equity infusion from Government of India.**

b) The equity shares to the tune of Rs.200 Crores (including premium) will be allotted on preferential basis to Government of India – the Promoter of the Bank.

c) Shareholding Pattern before and after the Issue.

| Sl. No. | Category | Pre-allotment (as on 15.11.2013) | | Post allotment | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of shares held | % of pre-allotment paid-up capital | No. of shares held | % of Post-allotment Paid Up Capital |
| A. | Promoter's Holding | | | | |
| 1 | Promoters | | | | |
| | Government of India | **324580364** | **58.0042** | 354614903 | 60.1435 |
| | Foreign promoters | - | - | - | - |
| **2** | **Persons acting in concert** | **-** | **-** | - | - |
| | **Sub Total of (1 & 2)** | **324580364** | **58.0042** | **354614903** | **60.1435** |
| **B** | **Non –Promoter Holding** | | | | |
| **3** | **Institutional Investors** | | | | |
| a | Mutual Funds and UTI | 659724 | 0.1179 | } | |
| b | Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central / State Govt.Institutions/ Non-Govt. Institutions) | 64585706 | 11.5418 | } | |
| c. | FIIs | 63535508 | 11.3541 | } | |
| | **Sub Total** | **128780938** | **23.0138** | **}** | |
| **4** | **Others** | | | | |
| a | Private Corporate Bodies | 19810195 | 3.5402 | } | |
| b | Indian Public | 83126292 | 14.8552 | } | |
| c | NRIs/OCBs | 1967593 | 0.3516 | } | |
| d | Any Other | 1314982 | 0.2350 | } | |
| | **Sub Total** | **106219062** | **18.9820** | **}** | |
| | **Sub Total of (3) and (4)** | **235000000** | **41.9958** | **235000000** | **39.8565** |
| | **Grand Total** | **559580364** | **100.00** | **589614903** | **100.00** |

घ) सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 में सुझाये अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्गम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक यथा संभव प्रयास करेगा.

ङ) चूँकि सम्पूर्ण निर्गम प्रधान शेयर धारक और बैंक के प्रमोटर भारत सरकार के लिए प्रस्तावित है, नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं है.

निर्गम के पूर्व और निर्गम के पश्चात् भारत सरकार के शेयर धारण का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :

| | शेयरों की संख्या | प्रदत्त पूँजी का प्रतिशत |
|---|---|---|
| निर्गम से पहले | 324580364 | 58.0042 |
| निर्गम के बाद | 354614903 | 60.1435 |

एफ. भारत सरकार ने अपने 22 अक्तूबर, 2013 के पत्र द्वारा भारत सरकार के नाम में बैंक के अधिमान्य ईक्विटी के रूप में रु. 200 करोड़ (रुपये दो सौ करोड़ मात्र) तक पूंजी इन्फ्यूज करने के अपने मंशा को सूचित किया है।

जी. बैंक के प्रमोटर होने के नाते भारत सरकार बैंक पर अपना नियंत्रण जारी रखेगा और प्रस्तावित अधिमान्य आबंटन के परिणामस्वरूप प्रबंधन / नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

एच. बैंक के ईक्विटी शेयर को 6 महीने से अधिक समय से लिस्ट किये गये हैं अतएव सेबी-आईसीडीआर के विनियमन 2009 के विनियम 76(3) और 78(5) के प्रावधान लागू नहीं हैं 1

आई. अधिमान्य इश्यु हेतु सेबी दिशा-निर्देश के अनुसार प्रमोटरों अर्थात् भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर जारी किये जाने वाले प्रस्तावित शेयर ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन के अधीन होगा ।

जे. भारत सरकार के सभी पूर्व अधिमान्य होल्डिंग स्टॉक-एक्सचेंज द्वारा मंजूर अनुमोदन की लिस्टिंग तारीख से 6 महीने की अवधि तक के लिए लॉक-इन रहेगा ।

के. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र की इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप इश्यु बनाया जा रहा है जिसे असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाएगा ।

एल. भारत सरकार के सभी शेयर डीमेटीरियलाइजड मोड में रहेंगे. बैंक के शेयर जिन शेयर बाजार केन्द्रों में लिस्ट किये गये हैं, उनके साथ किये गये लिस्टिंग करार में निर्धारित अनुसार बैंक

d) The Bank shall endeavour to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

e) As the entire issue is proposed to be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

| | Number of Shares | Percentage to Paid-up Capital |
|---|---|---|
| Pre Issue | 324580364 | 58.0042 |
| Post Issue | 354614903 | 60.1435 |

f) Government of India vide their letter dated 22nd October 2013 communicated its intention to infuse capital to the extent of Rs. 200 crore (Rs. 200 Crore Only) as preferential equity in the Bank in favour of the Government of India (President of India).

g) Government of India, being Promoters of the Bank will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

h) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, are not applicable.

i) As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. Government of India and shall be subject to a lock-in of three years from the date of trading approval.

j) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of listing approval granted by the stock exchange.

k) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

l) All the shares held by the Government of India are in dematerialised mode and the Bank is in compliance with the conditions

पूँजी शेयरों के अनवरत लिस्टिंग के शर्तों का अनुपालन करेगा. संबद्ध तिथि से तीन महीने पूर्व अवधि के दौरान भारत सरकार ने बैंक के शेयरों की बिक्री नहीं की.

एम बैंक द्वारा भारत के विभिन्न स्टॉक-एक्सचेंज, जहॉ बैंक के ईक्विटी शेयर लिस्टेड हैं, के साथ निष्पादित लिस्टिंग करार के खण्ड-23 अन्य के साथ यह भी प्रावधान करता है कि अतिरिक्त शेयरों के आबंटन के द्वारा बैंक की जारी पूंजी में वृद्धि का प्रस्ताव है तो ऐसे शेयरों को बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को बैंक के शेयर होल्डिंग के अनुपात में पहले ऑफर किया जाएगा जबतक शेयरधारक निर्णय नहीं लेता है अन्यथा साधारण बैठक में विशेष संकल्प द्वारा ।

**मद सं. 2. सापेक्ष संस्थागत प्लेसमेंट / फोलो-ऑन पब्लिक ऑफर के माध्यम से पूंजी जुटाना**

सापेक्ष संस्थागत क्रेताओं को सापेक्ष संस्थागत प्लेसमेंट द्वारा / फोलो-ऑन पब्लिक ऑफर द्वारा इतनी पूंजी जुटाना कि बैंक की ईक्विटी प्रदत्त पूंजी में केन्द्र सरकार का स्टेक उस प्रतिशत से कम नहीं होगा जैसाकि भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

ए. उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन के पश्चात और डीबीओडी नंबर बीपी.बीसी. 42.21.01.002/2007-08 दिनांक 29.10.2007 के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए विभिन्न प्रकार के टीयर-1 और टीयर-2 लिखतों के माध्यम से अपनी पूंजी जुटाने हेतु पूंजी बाजार में बैंक को जाने की अनुमति मिलने पर बैंक ने पूंजी जुटाने हेतु इस प्रकार पूंजी बाजार में जाने की योजना बनाई है कि उन व्यक्तियों को, जो बैंक के शेयरधारक है अथवा नहीं, इस प्रकार समय-समय पर एक या अधिक ट्रेंचों में ईक्विटी शेयर जारी करेगा कि बैंक की ईक्विटी प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार के स्टेक उस प्रतिशत से कम नहीं होगा जैसाकि भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और जो शर्तों के अधीन तथा बैंक के हित में उत्तम समझा जाएगा ।

बी. यह नोट किया जाए कि शेयरधारकों के अनुमोदन के अतिरिक्त ईक्विटी शेयरों का निर्गम सभी सांविधिक, विनियम या इस संबंध में अन्य लागू दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा ।

सी. संकल्प शेयरधारकों के और अनुमोदन के बिना निदेशक मण्डल को क्यू आई पी के माध्यम से शेयर जारी करने के अधिकार की मांग करता है ।

of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date.

m) Clause 23 of the Listing Agreements executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed, provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution.

**Item No.2: Raising of capital through Qualified Institutional Placement / Follow-on Public Offer :**

To raise capital by way of Qualified Institutional Placement to Qualified Institutional Buyers / Follow-on Public Offer in such a manner that the Central Government's stake in the equity paid-up capital of the bank will not go below such percentage as may be decided by Government of India.

a) After evaluating the various available alternatives as well as taking into consideration the Reserve Bank of India's guidelines bearing Reference No. DBOB. No. BP.BC.42 /21.01.002 /2007-08 dated 29.10.2007 permitting the Banks to access capital market for their raising capital through different types of Tier-I and Tier-II instruments, the Bank has planned to access capital market for raising capital in such a manner that the Central Government's stake in the equity paid-up capital of the bank will not go below such percentage as may be decided by Government of India by issuing equity shares to persons who are shareholders or not of the Bank in one or more tranches and from time to time and subject to terms and conditions as may be felt to be in the best interest of the Bank.

b) It may be noted that apart from the approval of the shareholders, the issue of equity shares would be subject to compliance of all statutory, regulatory or any other applicable guidelines in this regard.

c) The Resolution seeks to empower the Board of Directors to issue shares through

डी. आईसीडीआर विनियम के अध्याय-8 के अनुसार क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का इश्यु केवल उस मूल्य पर जारी किया जा सकता है जो संगत तारीख के पहले के दो सप्ताह के दौरान स्टॉक-एक्सचेंज पर कोट किये गये क्लोजिंग मूल्य के सप्ताह के उच्च तथा निम्न मूल्य के औसत से कम नहीं होगा ।

ई. संगत तारीख से अभिप्राय बैठक की तारीख से है जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यु ओपेन करने का निर्णय लेती है ।

एफ. ज्योंही ईक्विटी शेयर जारी करने का निर्णय लिया जाता है, उससे संबंधित नियम व शर्तों का निर्धारण बोर्ड द्वारा मर्चेंट बैंकर, लीड मैनेजर, सलाहकार और अन्य वैसे प्राधिकारियों से परामर्श कर किया जाएगा जैसा बैंक विद्यमान बाज़ार की स्थिति और अन्य संगत तत्वों का विचार कर बैंक द्वारा विचार किया जाएगा । संकल्प ऐसे समय पर या ऐसे मूल्य या मूल्यों पर, एक या अधिक ट्रेंचों में ऐसे निवेशकों को, जैसा उसमें वर्णित है, बोर्ड अपने विवेकानुसार उचित समझता है, ईक्विटी शेयर जारी करने का बोर्ड को अधिकार देने की मांग करता है ।

जी. उपर्युक्त कारणों से संकल्प पारित हेतु इश्यु के शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार देने का प्रस्ताव है ।

एच. जारी ईक्विटी शेयर लाभांश सहित बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के साथ हर प्रकार से समरूप होंगे ।

आई. इस उद्देश्य हेतु बैंक को विशेष संकल्प के द्वारा शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है ।

आपके निदेशक नोटिस की मद सं. 1 और 2 में निर्धारित संकल्पों की सिफारिश करते हैं ।

बैंक के किसी निदेशक को बैंक में अपने शेयर होल्डिंग की मात्रा के सिवा और पूँजी जुटाने में अपनी प्रतिभागिता के सिवा उक्त वर्णित संकल्पों से संबद्ध या रूचि नहीं है ।

**टी.आर.रामभद्रन**
**उप महाप्रबंधक एवं**
**कंपनी सचिव**

**स्थान : हैदराबाद**

QIP, without further approval of the shareholders.

d) In terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date".

e) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

f) The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.

g) For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

h) The equity shares issued, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

i) For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution.

Your Directors recommend the resolutions as set out in Item no.1 and 2 of the Notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank and their participation in the raising of capital, if any.

**T R Ramabhadran**
**Dy.General Manager &**
**Company Secretary**

**Place : Hyderabad**

**टिप्पणियां:**

1. बैठक में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला वर्णनात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा वोट करने हेतु प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकता/सकती है और ऐसा प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए असाधारण सामान्य बैठक प्रारंभ होने के **चार दिन** पहले यानी शनिवार, 14 दिसम्बर 2013 के कार्यसमय की समाप्ति अर्थात अपराह्न 2.00 बजे, तक या इससे पहले हैदराबाद स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में यह प्राप्त होना चाहिए।

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कंपनी या निकाय निगम, जो बैंक का शेयरधारक हो, के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी व्यक्ति को बैठक में भाग लेने या वोट देने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक उस संकल्प, जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हो, की प्रतिलिपि, जिसकी सही प्रति होने के संबंध में इसके पारित किए जाने की बैठक के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो, असाधारण सामान्य बैठक प्रारंभ होने के **चार दिन** पहले यानी शनिवार, 14 दिसम्बर 2013 के कार्यसमय की समाप्ति अर्थात अपराह्न 2.00 बजे, तक या इससे पहले हैदराबाद स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में यह प्राप्त होना चाहिए।

4. **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास:**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची भरकर एवं उसमें दिए गए खाली स्थान पर हस्ताक्षर करके उसे बैठक स्थल पर जमा कर दें। प्रॉक्सी/प्रतिनिधि उपस्थिति पत्रक पर प्रॉक्सी या प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करें।

**टी.आर.रामभद्रन**
**उप महाप्रबंधक एवं**
**कंपनी सचिव**

**स्थान : हैदराबाद**

**Notes:**

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **APPOINTMENT OF PROXY**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at Head Office at Hyderabad not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank at 2.00 p.m. on Saturday, the 14th December, 2013.

3. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Hyderabad not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank at 2.00 p.m. on Saturday, the 14th December, 2013.

4. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

**T R Ramabhadran**
**Dy.General Manager &**
**Company Secretary**

**Place : Hyderabad**

**आन्ध्रा बैंक**

**प्रधान कार्यालयः डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.** आं.प्र.

**प्रॉक्सी फार्म**

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाना है)

| | |
|---|---|
| पंजीकृत फोलियो नं<br>(यदि अमूर्त नहीं किया हो) | |
| डीपीआईडी नंबर | |
| ग्राहक आईडी नंबर | |
| (यदि अमूर्त किया हो) | |

मैं/हम_____ निवासी_____
जिला_____ राज्य_____ आन्ध्रा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतत्-द्वारा श्री/श्रीमती_____
निवासी_____ जिला_____ राज्य_____
**या** इनके न आने पर श्री/श्रीमती_____
निवासी_____ जिला_____ राज्य_____ को आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की गुरूवार, 19.12.2013 को प्रातः 11.00 बजे श्री सत्य साई निगमागमम, 8-3-987/2 श्रीनगर कालोनी, हैदराबाद 500 073 में होने वाली असाधारण सामान्य बैठक और उसके स्थगन की बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

कृपया ₹ 1 का राजस्व स्टैंप लगाएं

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

_____
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

**नाम :** _____

**पता :** _____
_____

**प्रॉक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं जमा करने के अनुदेश**

1. प्रॉक्सी का कोई लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि,
   ए) वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत न हो
   बी) संयुक्त धारकों के मामले में वह रजिस्टर में दर्ज प्रथम नामित शेयरधारक या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत न हो

सी) निगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत न हो

2. प्रॉक्सी की लिखत पर किसी ऐसे शेयरधारक के पर्याप्त हस्ताक्षर हों। किसी कारणवश वे हस्ताक्षर नहीं कर सकते हों, तो उस पर निशान लगाएं और वह निशान किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एशुरेंसेस या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए।

3. प्रॉक्सी के साथ

क) मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा,

बी) नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित, मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति, प्रधान कार्यालय, व्यापारी बैंकिंग प्रभाग, आन्ध्रा बैंक, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदरबाद 500 004 में असाधारण सामान्य बैठक प्रारंभ होने के **चार दिन** पहले यानी शनिवार, 14 दिसम्बर 2013 के कार्यसमय की समाप्ति अर्थात अपराह्न 2.00 बजे, को या इससे पहले जमा किया जाए.

4. कोई प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि वह विधिवत स्टांपित न हो.

ए) बैंक में जमा करायी गयी प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी.

बी) वैकल्पिक रूप में दो अनुमोदित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्रॉक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किये जाएंगे.

सी) प्रॉक्सी की लिखत निष्पादित करने वाले शेयरधारक को उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक नहीं होगा जिस बैठक से ऐसी लिखत संबंधित हो.

डी) जो व्यक्ति आन्ध्रा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

**ANDHRA BANK**

**Head Office:** Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad,Hyderabad 500004 A.P.

**PROXY FORM**

(To be filled in and signed by the Shareholder)

| | |
|---|---|
| Regd. Folio No. (if not Dematerialised) | |
| DP ID No. | |
| Client ID No. (if Dematerialised) | |

I / We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder / shareholders of Andhra Bank hereby appoint Shri / Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him / her, Shri / Smt _____resident of _____in the district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Andhra Bank to be held on **19th, December, 2013** at 11.00 A.M. at Sri Sathya Sai Nigamagamam, 8-3-987/2, Sri Nagar Colony, Hyderabad - 500 073, and at any adjournment thereof.

Signed this _____day of_____2013

Please Affix Revenue Stamp Re.1/-

_____ Signature of Proxy

_____ Signature of First named / Sole Shareholder

Name : _____

Address : _____

_____

**INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM**

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or

b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Andhra Bank, Merchant Banking Division, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 2.00 p.m. on Saturday, the 14th December, 2013.

4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.

a) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

b) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

c) The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.

d) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

**आन्ध्रा बैंक**

**प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004. आं.प्र.**

**<u>उपस्थिति पर्ची</u>**

(बैठक स्थल में प्रवेश करते समय सुपुर्द करना है)

दिनांक : 19.12.2013

समय : प्रातः 11.00 बजे

स्थान : श्री सत्यसाई निगमागमम, 8-3-987/2, श्रीनगर कॉलनी, हैदराबाद-500 073

**मैं एतदद्वारा बैंक के असाधारण सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर | | | |
| पंजीकृत फोलियो | | डी पी आई डी | |
| | | ग्राहक आई डी | |
| (यदि अमूर्त नहीं हो) | | (यदि अमूर्त हो) | |
| शेयरधारक का नाम | | | |
| शेयरों की संख्या | | | |

---

**आन्ध्रा बैंक**

**प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004. आं.प्र.**

**<u>प्रवेश पास</u>**

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

**असाधारण सामान्य बैठक**

दिनांक : गुरुवार, 19 दिसंबर, 2013 प्रातः 11:00 बजे

| | | | |
|---|---|---|---|
| उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर | | | |
| पंजीकृत फोलियो | | डी पी आई डी | |
| | | ग्राहक आई डी | |
| (यदि अमूर्त नहीं हो) | | (यदि अमूर्त हो) | |
| शेयरधारक का नाम | | | |
| शेयरों की संख्या | | | |

---

शेयरधारकों/ शेयरधारक के प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक स्थल में प्रवेश हेतु उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को, बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर करके, प्रवेश पास सहित प्रस्तुत करें। तथापि प्रवेश, यथा आवश्यक माने गए सत्यापन/जाँच की शर्त पर है। किसी भी परिस्थिति में, बैठक में प्रवेश हेतु कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

**Andhra Bank**

Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hydrrabad 500004 A.P.

**ATTENDANCE SLIP**

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 19th December, 2013

Time : 11 a.m.

Place : Sri Sathya Sai Nigamagamam, 8-3-987/2, Sri Nagar Colony, Hyderabad - 500 073

**I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present | | | |
| **Regd. Folio No.** | | **DP ID** | |
| | | **Client ID** | |
| (If not dematerialised) | | (If dematerialised) | |
| Name of the Shareholder | | | |
| Number of Shares | | | |

---

**ANDHRA BANK**

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500004 A.P.

**ENTRY PASS**

(To be retained throughout the meeting)

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**Date: Thursday, 19th December, 2013, 11.00 A.M.**

| | | |
|---|---|---|
| Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present | | |
| **Regd. Folio** | | **DP ID** |
| | | **Client ID** |
| (If not dematerialized) | | (If dematerialised) |
| Name of the Shareholder | | |
| Number of Shares | | |

---

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, no duplicate Attendance Slip will be issued at the entrance to the meeting.

# बुक पोस्ट

# BOOK POST

यदि सुपुर्द न किया गया हो तो निम्न को वापस करें :
मेसर्स एमसीएस लिमिटेड,
यूनिट : आन्ध्रा बैंक
काशीराम जमनादास बिल्डिंग, ऑफिस संख्या 21/22
भूतल 5, पी डी मेलो रोड,
घडियाल गोदी, मुम्बई – 400009
दूरभाष नं. : 022-23726253/54/55
ई. मेल आई डी mcspanvel@yahoo. co.in

*If Undelivered, Please return to:*
**M/s. MCS Limited,**
**Unit : Andhra Bank**
Kashiram Jamnadas Bldg, Office No. 21/22,
Ground Floor 5, P.D'Mello Road,
Ghadiyal Godi, Mumbai - 400 009.
Ph. No. : 022-23726253/54/55
E-mail ID : mcspanvel@yahoo.co.in

---

आन्ध्रा बैंक
**Andhra Bank**

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
**Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.**

YS HITECH (040) 23074496/3640